

राजस्थान सरकार  
ऊर्जा विभाग


जयपुर, दिनांक 02.01.2017

क्रमांक प.23(2)ऊर्जा/2004/पार्ट-1

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय श्री राजेन्द्र प्रसाद बरवड को उनके पद ग्रहण करने की तारीख से राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,




(गोपाल जसोरिया)

उप शासन सचिव ऊर्जा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री
3. विशिष्ट सहायक, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री
4. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव
6. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, इन्फ्रा
7. निजी सचिव, समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
8. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज० राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि०
10. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
11. अध्यक्ष, विद्युत वितरण निगम लि०
12. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०/आरआरईसी/राज० ऊर्जा विकास निगम
13. सचिव, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, जयपुर
14. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
15. श्री राजेन्द्र प्रसाद बरवड, निदेशक (ऑपरेशन), राज० राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि०, विद्युत भवन, जयपुर
16. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर
17. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर। कृपया उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करावें।



उप शासन सचिव ऊर्जा